(180)

पत्रांक– 04 / SV (NULM)-04 / 2015 5032 / न0वि0एवं आ0 वि0

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग।

प्रेषक,

संयुक्त सचिव–सह–निदेशक,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा में,

सभी नगर आयुक्त, नगर निगम।
सभी नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद / नगर पंचायत।

पटना, दिनांक–17/12/15

विषयः– **पथ विक्रेताओं के बायोमिट्रिक सर्वेक्षण में राशि एवं संस्था / मानव बल के लगाये जाने के उपरांत व्यय की जाने वाली राशि के संबंध में।**

प्रसंगः– **विभागीय पत्रांक–4326 दिनांक–01.10.15**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रसंगाधीन पत्र के माध्यम से शहरी पथ विक्रेताओं के बायोमिट्रिक सर्वेक्षण कार्य दिनांक–31.12.15 तक पूर्ण करने का निदेश दिया गया है। जिसके अनुपालन में कुछ नगर निकाय द्वारा सर्वेक्षण के दौरान व्यय होने वाली राशि एवं संस्था / मानव बल के उपयोग के संबंध में विभागीय मार्गदर्शन की अपेक्षा की गई है।

उक्त के आलोक में सम्यक विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि 42 शहरों में सर्वेक्षण का कार्य NASVI द्वारा किया जा रहा है। इन्हें NULM मद में प्राप्त होनेवाली राशि से भुगतान किया जाना है, जबकि NULM से बाहर के शहरों में सम्बंधित नगर निकाय द्वारा अपने स्रोत से अर्जित आय से उपलब्ध मानव बलों के माध्यम से स्ट्रीट वेंडर का बायोमिट्रिक सर्वेक्षण किया जाना है।

अतः अनुरोध है कि निर्धारित अवधि में उक्त सर्वेक्षण कार्य पूर्ण कर अद्योहस्ताक्षरी को प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन,
16/12/15

संयुक्त सचिव–सह–निदेशक,
नगर विकास एवं आवास विभाग।